



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25022025-261297
CG-DL-W-25022025-261297

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 04] नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2025, शनिवार/माघ 27—फाल्गुन 3, 1946
No. 04] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2025, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो), सहायक निदेशक भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में समूह 'क' के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सहायक निदेशक समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि प्रवर्तन के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक	35* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700 रुपए)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो

		सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100 रु.) में अधीक्षक, जिन्होंने ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सफलतापूर्वक चार सप्ताह की अनिवार्य प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार और प्रदान किया जाता है। टिप्पण.1- नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर अधीक्षक का पद धारण करने वाले अधिकारियों के लिए पात्रता सेवा छः वर्ष की बनी रहेगी। टिप्पण. 2- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन अधिकारी; (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रु. 56100-177500) या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) विनियामक विधियों के प्रवर्तन में और उनसे	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. महानिदेशक या उप महानिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो- सदस्य ; 3. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य। समूह विभागीय 'क' पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय-सदस्य; 3. उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो -सदस्य।	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करने में पांच वर्ष का अनुभव; वांछनीय:- निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी में जांच और पर्यवेक्षण में एक वर्ष का अनुभव:- (i) औषध संबंधित अपराध या दण्डिक विधियों का प्रवर्तन; (ii) वित्तीय अन्वेषण; (iii) धन शोधन ; (iv) आर्थिक धोखाधड़ी या अपराध । टिप्पण 1- पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. 1-12014/45/2017-एनसीबी-II]

नीरज कुमार बनसोड, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में अपर निदेशक के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-